विज्ञप्ति संख्या–19/2015

कार्यालय,जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद।

सूचना

सरकार के सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, सरकार राँची के पत्रांक 1530 दिनांक 03.07.2015 एवं पत्रांक 1531 दिनांक 03.07.2015 के निदेशानुसार झारखण्ड अधिविद् परिषद् द्वारा कक्षा 06 से कक्षा 08 एवं कक्षा 01 से 05 के लिये आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों से राजकीयकृत प्रारंभिक/मध्य विद्यालयों में गैर योजना अन्तर्गत स्वीकृत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (विज्ञान, कला, भाषा, उर्दू भाषा शिक्षक) एवं राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में गैर योजना अन्तर्गत स्वीकृत इण्टर प्रशिक्षित शिक्षक एवं योजना अन्तर्गत स्वीकृत इण्टर प्रशिक्षित उर्दू शिक्षक के रिक्त पदों पर कार्यालय के विज्ञप्ति संख्या 09/2015 एवं विज्ञप्ति संख्या 10/2015 के द्वारा विहित प्रपत्र में दिनांक 05.08.2015 तक कक्षा 06 से 08 के लिये एवं दिनांक 07.08.2015 तक कक्षा 01 से 05 के लिये स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे।

सरकार के सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1192 दिनांक 02.06.2015 में निहित निदेशानुसार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प संख्या 5795 दिनांक 10.10.2002 के अनुसार खेल–कुद कोटा से 2% पद भी क्षैतिज रूप से आरक्षित है। सरकार के सचिव, कला, संस्कृति, खेलकुद एवं युवा कार्य विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12.09.2007 के अनुसार खेल–कुद हेतु आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिये खेलों में उपलब्धि के निम्न मानक निर्धारित किया गया है –

प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि	सीधी नियुक्ति के पदों की श्रेणी
(i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलिम्पिक कमीटी अथवा उनसे संबंधित फेंडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता	मेडल	श्रेणी–II (उदाहरण स्वरूप उप आरक्षी अधीक्षक, सहायक वन संरक्षक, सहायक निदेशक (खेल) इत्यादि)
(ii) भारतीय ओलिम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पिनशीप स्तर की प्रतियोगिता	प्रथम स्थान	
(iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता	विश्व रिकार्ड	
(i) भारतीय ओलिम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता	द्वितीय/तृतीय स्थान	श्रेणी–III (उदाहरण स्वरूप आरक्षी निरीक्षक, अवर आरक्षी निरीक्षक, वन क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल, जिला खेल पदाधिकारी, खेल प्रशिक्षक इत्यादि)
(ii) झारखण्ड ओलिम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैम्पियनशीप।	प्रथम स्थान	

उक्त विज्ञप्ति के आलोक में खेल–कुद कोटा के लिये इण्टर प्रशिक्षित पारा शिक्षक, इण्टर प्रशिक्षित गैर पारा शिक्षक, इण्टर प्रशिक्षित उर्दू पारा शिक्षक, स्नातक प्रशिक्षित पारा शिक्षक एवं स्नातक प्रशिक्षित गैर पारा शिक्षक हेतु क्रमशः 85, 21, 02, 53 एवं 79 कुल 240 आवेदन पत्र कार्यालय को प्राप्त हुये थे जिसकी समीक्षा उपर अंकित मानक के आधार पर की गई। समीक्षाउपरांत पाया गया कि ये सारे आवेदक खेल–कुद हेतु आरक्षित पद के लिये वांछित अर्हता धारण नहीं करते है। इन अभ्यर्थियों की सूची **www.dhanbad.nic.in** पर अपलोड किया जा रहा है। इसके पहले कि इन अभ्यर्थियों के दावा को खारिज किया जाय उनसे अपने पक्ष में आवश्यक अभिलेख के साथ आपत्ति आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। अनुरोध है कि संबंधित अभ्यर्थी दिनांक 30.10.2015 तक अपना दावा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या विशेष वाहक के माध्यम से कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि तक यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो यह समक्षा जायेगा कि उन्हें आपने दावे के पक्ष में कुछ नहीं कहना है। संभव है कि इन अभ्यर्थियों में से कुछ का चयन मेधा के आधार पर पूर्व में हो चुका होगा। उन्हें आपत्ति देने की जरूरत नहीं है।

27/10/15

जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद